FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0218 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/08/2026 16:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 01/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:08 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/08/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/08/2026 16:58:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 12 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT TASOL KE PASS SITHT, AAROPI BHANWARLAL-SARPANC, KA MAKAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANJU DEVI BHAND

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** LATE. MUKESH KUMAR BHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TASOL, KUNWARIYA, KELWA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TASOL, KUNWARIYA, KELWA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KARAN SINGH RAO		पिता:GOVIND SINGH RAO	1. KANAWDA POST PDASALI, KELWA,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA
2	BHANWAR LAL SARGARA		पिता:RAMLAL SARGARA	1. TASOL,KUNWARIYA, KELWA,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		43,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 43,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 30.05.2026 को समय 12.30 पी.एम. पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी भांड पत्नी स्व. श्री मुकेश कुमार भांड जाति भांड उम्र 44 साल निवासी ग्राम तासोल तहसील कुंवारिया पुलिस थाना केलवा जिला राजसमन्द एवं श्री रतनलाल जाट पुत्र श्री नारायण लाल जाट उम्र 41 साल निवासी खरताणा पुलिस थाना फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर हाल निवासी ग्राम तासोल पुलिस थाना केलवा जिला राजसमन्द एसीबी चौकी राजसमन्द पर उपस्थित आये और परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो राजसमन्द के समक्ष एक टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं प्रार्थीया मंजु देवी भांड पत्नी स्व. श्री मुकेश कुमार भांड, जाति भांड, उम्र 44 साल, निवासी ग्राम तासोल, तहसील कुंवारिया, पुलिस थाना केलवा, जिला राजसमन्द की रहने वाली हुं। मैने जुलाई 2023 में अपने ग्राम तासोल में आबादी क्षैत्र के आराजी नम्बर 647 में स्थित बाडे का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत तासोल में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। उसके बाद मैने कई बार सरपंच - सचिव से मिलकर पट्टा बनाने के लिए निवेदन किया लेकिन इन्होंने मेरे बाडे का पट्टा नहीं बनाया। दिनांक 24.04.2026 को मैं, अपने बाडे का पट्टा बनवाने हेतु मेरे मिलने वाले श्री रतन लाल जाट पुत्र श्री नारायण लाल जाट, निवासी खरताणा, पुलिस थाना फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर के साथ, ग्राम पंचायत तासोल में गई थी तब वहां पर मुझे श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द मिले तथा श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे कहा कि तुम्हारे पट्टा ऐसे नहीं बनेगा, हमें खर्चा-पानी के पैसे देने पडेंगे, अगर खर्चा-पानी के पैसे नहीं देगी तो पट्टा बनाके नहीं देंगे। इस पर मैने उनसे खर्चा-पानी के बारे में पूछा तो श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने पट्टा बनाने की एवज में मुझसे 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मेरे व श्री रतनलाल जाट द्वारा सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को बार-बार निवेदन कर पैसे कम करने के लिए कहा गया तो पास ही बैठे सरपंच साहब श्री भंवरलाल सरगरा ने पट्टा बनाने की एवज में मुझसे लास्ट 45,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि इससे कम नहीं होगा। इसके बाद मैने श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी को कई बार कॉल करके बाडे का पट्टा बनाने के लिए निवेदन किया लेकिन श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल जी सरपंच साहब ने आज दिनांक तक मेरा पट्टा नहीं बनाया। मेरे मिलने वाले श्री रतनलाल जाट ने मुझसे कहा कि सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी तुम्हारा पट्टा बिना पैसे लिये नहीं बनायेंगे, तुम्हे सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत राशि देने के बजाय इनके खिलाफ कार्यवाही हेतु एसीबी में रिपोर्ट देनी चाहिए। ग्राम पंचायत तासोल के सरपंच श्री भंवरलाल सरगरा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री करण सिंह दोनों आपस में मिले हुए हैं जो बिना रिश्वत लिये मेरा पट्टा नहीं बनायेंगे। मैं ग्राम पंचायत तासोल के सरपंच श्री भंवरलाल सरगरा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री करण सिंह को रिश्वत राशि 45,000 रूपये नहीं देना चाहती हुं बल्कि उनकों रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हुं। मेरे व सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी के मध्य कोई आपसी रंजीश नहीं हैं और ना ही कोई आपसी लेनदेन बकाया हैं। मेरे मिलने वाले श्री रतनलाल जाट अपनी सहमति से आगे की कार्यवाही में मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। अत रिपोर्ट करती हुं, कानूनी कार्यवाही करावें। जिस पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादीया से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादीया ने बताया कि मैंने जुलाई 2023 से पहले भी दो बार बाडे का पट्टा बनाने के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत तासोल में दिया था और दोनों बार मैने पट्टा शुल्क की राशि भी जमा भी करवाई थी। लेकिन ग्राम पंचायत तासोल में मेरा आवेदन पत्र नहीं मिलने से मैने पुन जुलाई 2023 में बाडे का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत तासोल में दिया और पट्टा शुल्क हेतु राशि 120 रूपये ग्राम पंचायत तासोल में जमा भी करवाये। मैं मेरे मिलने वाले श्री रतनलाल जाट के

साथ दिनांक 24.04.2026 को ग्राम पंचायत तासोल गई और मेरे बाडे का पट्टा बनाने के लिए श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी से कहा तो वहां पर उपस्थित सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी दोनों ने बाडे का पट्टा बनाने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 45,000 रूपये की मांग की। ग्राम पंचायत तासोल के सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी दोनों भ्रष्ट लोक सेवक हैं जो बिना रिश्वत लिये किसी का भी काम नहीं करते हैं। मैं सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत राशि 45,000 रूपये नहीं दूंगी तो वो मेरे बाडे का पट्टा नहीं बनायेंगे। मैं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल को अपने जायज कार्य के लिए रिश्वत राशि 45,000 रूपये नहीं देना चाहती हुं बल्कि उनको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हुं। मेरे मिलने वाले श्री रतनलाल जाट जो कि अपनी सहमति से आगे की कार्यवाही में मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। मैं कम पढ़ी-लिखी हुं और केवल हस्ताक्षर करना जानती हुं इसलिए रिपोर्ट टाईप करवाकर आपको पेश की हैं, कृपा करके कानूनी कार्यवाही करावें। इस पर मन् एएसपी द्वारा उपस्थित श्री रतनलाल जाट को एसीबी की ओर से की जा रही अग्रिम कार्यवाही में बतौर सपरिवादी उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई तो श्री रतन लाल जाट ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए मन् एएसपी को बताया कि दिनांक 24.04.2026 को मैं श्रीमती मंजु देवी के बाडे का पट्टा बनवाने के कार्य से उसके साथ, ग्राम पंचायत तासोल में गया था तब वहां पर श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तासोल दोनों मिले थे तब श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने पट्टा बनाने की एवज में मेरे सामने ही श्रीमती मंजु देवी से खर्चा-पानी के रूप में रिश्वत राशि 50,000 रूपये की मांग की थी। मेरे व श्रीमती मंजु देवी द्वारा सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को पैसे कम करने के लिए बार-बार निवेदन किया गया तो श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब ने पट्टा बनाने की एवज में लास्ट 45,000 रूपये रिश्वत राशि देने हेतु कहा। तब मैने श्रीमती मंजु देवी को श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब के खिलाफ एसीबी में रिपोर्ट देने हेतु कहा था। मैं अपने निजि कार्य हेतु पहले भी कई बार श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब व श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी से मिल चुका हुं और हमारे बीच कई बार रूबरू वार्ताएं भी हुई हैं, यह दोनों भ्रष्ट लोकसेवक हैं जो बगैर रिश्वत लिए किसी का भी जायज कार्य नहीं करते हैं। तत्पश्चात मन् एएसपी द्वारा श्री रतनलाल जाट को परिवादीया श्रीमती मंजु देवी द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र को पढ़कर सुनाया गया तथा पढाया गया। तत्पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र पर श्री रतन लाल जाट के बतौर सहमति हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् एएसपी द्वारा परिवादीया को ग्राम पंचायत तासोल में पट्टा शुल्क बाबत् जमा रसीद के बारे में पूछा तो परिवादीया ने अपने पास से ग्राम पंचायत तासोल की राशि 120 रूपये की श्रीमती मंजु के नाम पर दिनांक 21.07.23 की कताशुदा रसीद संख्या 0383 की मूल प्रति पेश की और बताया कि मेरे द्वारा राशि 120 रूपये जमा करवाने के बाद श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने रसीद काटकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके मूल रसीद मुझे दी थी। मेरे द्वारा राशि 120 रूपये के अलावा और अन्य कोई शुल्क ग्राम पंचायत तासोल में जमा नहीं करवाया गया हैं। परिवादीया द्वारा पेश उक्त मूल रसीद पर परिवादीया-सपरिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादीया द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त परिवादीया से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं सपरिवादी श्री रतन लाल को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन बाबत अवगत करवाया गया तो परिवादीया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 29.05.2026 को समय 06.18 पीएम पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने अपने मोबाईल नम्बर   से मेरे मोबाईल नम्बर   पर कॉल करके मुझसे कहा कि जब भी मैं कॉल करू तब ग्राम पंचायत तासोल में आकर के मुझसे मिल लेना। श्री करण सिंह जब भी मुझे कॉल करेंगे तब ही मैं उनसे मिल पाउंगी और उनसे रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में आगे की वार्ता हो पायेगी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया मेमोरी कार्ड निकालकर, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया एवं सपरिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रीम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 को मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं सपरिवादी श्री रतन लाल जाट से आपस में परिचय करवाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीमती तारा महिला कानि0 एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 के मोबाईल नम्बर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को साझा करवाये गये। तत्पश्चात परिवादीया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि जब भी मेरे पास श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी का कॉल आयेगा और मिलने के लिए ग्राम पंचायत तासोल में बुलायेगा तो मैं तुरन्त आपको कॉल करके सूचित कर दूंगी और आप अपने कार्यालय से किसी कार्मिक को ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास भेज देना, मैं वहां पर श्री रतन लाल जाट व मेरे बडे लडके ऋतिक भांड के साथ मिल जाउंगी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती तारा महिला कानि0 एवं

श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 को जब भी परिवादीया का कॉल आने एवं मन् एएसपी द्वारा निर्देशित किये जाने पर ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड सहित प्राप्त कर परिवादीया के बताये अनुसार ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास पहुंचकर परिवादीया से मिलकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईश कर संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच, ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति राजसमन्द से अग्रीम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादीया को सुपुर्द कर संदिग्धगण के पास वार्ता हेतु भिजवाये जाने की आवश्यक हिदायत दी गई तथा उपस्थित परिवादीया को भी संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी का कॉल आने पर तुरन्त मन् एएसपी को सूचित करने एवं ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास ब्यूरो कार्यालय के श्रीमती तारा महिला कानि0 एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 से मिलकर संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल से अग्रिम रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत देकर समय 01.10 पीएम पर परिवादिया-सपरिवादी को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।तत्पश्चात दिनांक 01.06.2026 को समय 09.09 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के मोबाईल नम्बर से कॉल आया जो अटेण्ड नहीं हो पाने से मन् एएसपी द्वारा पुन समय 09.16 एएम पर परिवादीया को फोन लगाकर वार्ता की तो परिवादीया ने बताया कि आज सुबह 09.04 एएम पर मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर से कॉल आया था जिन्होंने मुझे आज सुबह 11.30-12.00 बजे के आस-पास ग्राम पंचायत तासोल में मिलने के लिए बुलाया हैं। आप अपने कार्यालय से कार्मिक को ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास समय 11.45 एएम के आस-पास भिजवा देना, मैं वहीं पर मिल जाउंगी। परिवादीया ने मन् एएसपी को बताया कि सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी दोनों के द्वारा मेरे बाडे का पट्टा बनाने की एवज में मुझसे पूर्व में रिश्वत राशि 45,000 रूपये की मांग की जा चुकी हैं, जैसे ही मैं सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी से मिलूंगी तो वो सबसे पहले मुझे रिश्वत राशि देने के लिए कहेंगे, इसलिए मैं सत्यापन वार्ता के समय श्री रतनलाल जाट को मेरे साथ नहीं ले जाउंगी, मैं, सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को श्री रतन लाल जाट द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था में लगा हुआ होने की कहकर श्री रतन लाल जाट को ग्राम पंचायत के बाहर ही रूकने का कह दूंगी। इस पर मन् एएसपी द्वारा परिवादीया को समय 11.45 एएम के आस-पास ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास ब्यूरो कार्यालय के श्रीमती तारा महिला कानि0 एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 से मिलकर संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 एवं श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को श्रीमती तारा महिला कानि0 259 से निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्रीमती तारा महिला कानि0 को सुपुर्द कर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के बताये अनुसार ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के साथ समय 11.45 एएम पर पहुंचकर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी से मिलकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईश कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादीया को सुपुर्द कर संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल के पास भिजवाकर परिवादीया एवं संदिग्धगण के मध्य अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु एवं सत्यापन वार्ता के पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिए मोबाईल हालात से अवगत कराने की आवश्यक हिदायत दी जाकर मांग सत्यापन की कार्यवाही के पश्चात परिवादीया एवं सपरिवादी के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर श्रीमती तारा महिला कानि0 को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के कानि0 जितेन्द्र कुमार के साथ अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कानि0 जितेन्द्र कुमार की निजि मोटरसाईकिल से समय 11.00 एएम पर ग्राम तासोल की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01.10 पीएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 अपनी निजी मोटरसाईकिल से श्रीमती तारा महिला कानि0 के साथ तथा श्री रतन लाल जाट अपनी मोटरसाईकिल से परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के साथ ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये तथा श्रीमती तारा महिला कानि0 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार इमरोज दिनांक 01.06.2026 को समय 11.00 एएम पर मैं महिला कानि0 एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एसीबी चौकी राजसमन्द से कानि0 जितेन्द्र कुमार की मोटरसाईकिल से रवाना हो समय करीब 11.45 एएम पर ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे

जहां पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी व सपरिवादी श्री रतनलाल जाट एक अन्य व्यक्ति के साथ उपस्थित मिले तथा परिवादीया ने अन्य व्यक्ति का परिचय देते हुए मुझ महिला कानि0 को बताया कि यह मेरा बडा लडका ऋतिक भांड हैं, आज मुझे बहुत घबराहट हो रही हैं इसलिए सत्यापन की कार्यवाही के समय मेरा लडका ऋतिक मेरे साथ रहेगा और श्री रतन लाल जाट मांग सत्यापन वार्ता के दौरान मेरे साथ नहीं चलेंगे। इस पर मुझ महिला कानि0 द्वारा परिवादीया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईश की जाकर संदिग्धगण से अग्रिम मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादीया ने बताया कि अभी-अभी मेरे पास श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी का फोन आया था लेकिन मैने फोन अटेण्ड नहीं किया। श्री करण सिंह जी ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे आज सुबह 11.30-12.00 बजे के आस-पास ग्राम पंचायत तासोल में मिलने के लिए कहा था लेकिन वो अभी कहां पर मिलेंगे, उनको फोन करने पर ही पता चल पायेगा। इस पर मुझ महिला कानि0 द्वारा समय 12.01 पीएम पर परिवादीया के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल लगवाकर परिवादीया के मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर परस्पर वार्ता करवाई गई तथा उक्त मोबाईल वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त मोबाईल वार्ता में श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादीया को सरपंच साहब के घर पर बुलाया। परिवादीया ने मुझ महिला कानि0 को बताया कि ग्राम पंचायत तासोल के पास में ही सरंपच साहब श्री भंवरलाल सरगरा का मकान स्थित हैं, जहां पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी व श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब दोनों वहीं पर ही मिल जायेंगे और उनसे रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में आगे की वार्ता हो जायेगी। इस पर मुझ महिला कानि0 द्वारा समय 12.08 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादीया को सुपुर्द कर संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में अग्रिम वार्ता करने हेतु परिवादीयां श्रीमती मंजु देवी, सपरिवादी श्री रतनलाल जाट व श्री ऋतिक भांड को उनकी मोटरसाईकिल से ग्राम पंचायत तासोल के पास ही स्थित श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) के मकान की तरफ रवाना किया तथा जिनके पीछे-पीछे मैं महिला कानि0 व कानि0 जितेन्द्र कुमार मोटरसाईकिल से रवाना हो ग्राम पंचायत तासोल के पास पहुंचे जहां पर परिवादीया ने श्री रतनलाल जाट को मोटरसाईकिल से नीचे उतारकर परिवादीया अपने लडके के साथ सरपंच भंवरलाल सरगरा के मकान की तरफ रवाना हुई तथा मैं महिला कानि0 एवं कानि0 जितेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत तासोल के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीया के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। करीब 30-35 मिनट बाद परिवादीया श्रीमती मंजु देवी अपने लडके ऋतिक भांड व श्री रतन लाल जाट के साथ मुकिम स्थल पर आये जिनको मुझ महिला कानि0 द्वारा किसी एकान्त स्थान पर पहुंचने का इशारा कर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी, श्री रतनलाल जाट व श्री ऋतिक को उनकी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मैं महिला कानि0 व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मोटरसाईकिल से रवाना हो एकान्त स्थान पर पहुंचे जहां पर परिवादीया ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझ महिला कानि0 को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादीया ने मुझ महिला कानि0 को बताया कि सरपंच साहब श्री भंवरलाल सरगरा के घर पर सरपंच साहब व श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी दोनों मिले थे जिन्होंने मुझसे बाडे का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत राशि 43,500 रूपये की मांग की हैं। तत्पश्चात परिवादीया ने मुझ महिला कानि0 को बताया कि मेरे लडके ऋतिक को आवश्यक कार्य के लिए कहीं पर जाना हैं। तत्पश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार द्वारा उक्त समस्त हालात श्रीमान को जरिए मोबाईल निवेदन किये जाकर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादीया के लडके श्री ऋतिक को ग्राम तासोल में ही रूखसत कर समय 12.50 पीएम पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी व सपरिवादी श्री रतन लाल जाट को उनकी मोटर साईकिल से एसीबी चौकी राजसमन्द पहुंचने की आवश्यक हिदायत कर रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मैं महिला कानि0 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड मय कानि0 जितेन्द्र कुमार के साथ मोटर साईकिल से रवाना हो हाजिर ओपी आये हैं। तत्पश्चात उपस्थित परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने श्रीमती तारा महिला कानि0 के कथनों की ताईद करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से पूर्व मैने श्री रतनलाल जाट को ग्राम पंचायत तासोल के आस-पास ही रूकने का कहकर मैं मेरे लडके के साथ सरपंच साहब श्री भंवरलाल सरगरा के मकान पर गई थी जहां पर सरपंच साहब श्री भंवरलाल सरगरा व श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी दोनों उपस्थित मिले थे जिनसे मैने मेरे बाडे का पट्टा बनाने के सम्बन्ध में बात की तथा श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने पट्टे की तीनों प्रतियों पर मेरा नाम पता लिखकर पट्टे की प्रतियों पर मेरे हस्ताक्षर करवाये और पट्टे के लिए किये गये आवेदन पत्र पर पडोसियों एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाने हेतु पट्टा आवेदन पत्रावली मुझे दी और हस्ताक्षर करवाने के बाद आवेदन पत्रावली पुन सरपंच साहब को देने हेतु कहा। मेरे द्वारा पूर्व में सरपंच साहब द्वारा पट्टा बनाने हेतु मांग की गई रिश्वत राशि 45,000 रूपये ज्यादा होने से रिश्वत राशि कम करने के लिए कहा तो सरपंच साहब श्री भंवरलाल सरगरा ने 1,000 रूपये कम करके देने के लिए कहा। मेरे द्वारा बार-बार रिश्वत राशि कम करने हेतु निवेदन करने पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने सरपंच साहब की उपस्थिति में मेरे बाडे का पट्टा बनाने की एवज में मुझे रिश्वत राशि 43,500 रूपये देने हेतु कहा। जिस पर मेरे द्वारा 43,500 रूपयों के अलावा और कितने पैसे पडेंगे जिसके सम्बन्ध में श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी से पूछा तो उन्होने रजिस्ट्री के समय 4,000 रूपये और देने हेतु कहा। इसके बाद मैने श्री करण सिंह ग्राम विकास

अधिकारी को कहा कि पैसों की व्यवस्था करके श्री रतनलाल जाट आ रहा हैं जो आपको पैसे दे देगा तो श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी नहीं माने और पैसा देने के बाद ही पट्टा देने की कहा। मैने सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी के सामने ही श्री रतनलाल जाट को कॉल किया था और श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने भी श्री रतनलाल जाट के मोबाईल नम्बर लेकर रिश्वत राशि प्राप्त करने की नियत से मेरे सामने ही अपने मोबाईल फोन से श्री रतनलाल जाट को कॉल भी किया था। मेरे द्वारा उक्त समस्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सपरिवादी श्री रतनलाल जाट से परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी का कॉल आने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री रतनलाल जाट ने बताया कि श्रीमती मंजु देवी ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी से मिलने के लिए सरपंच साहब के घर पर जाने से पहले मुझे ग्राम पंचायत तासोल के आस-पास रूकने की कहकर श्रीमती मंजु देवी सरपंच साहब श्री भंवरलाल सरगरा के घर पर गई थी और मैं ग्राम पंचायत तासोल के आस-पास ही खडा रहा, इस दौरान मेरे पास श्रीमती मंजु देवी का कॉल आया था जिसके थोडी देर बाद मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर से कॉल आया था लेकिन आवाज साफ नहीं आने पर मैने दुबारा उनको कॉल किया और उनको ग्राम पंचायत तासोल आने के लिए कहा था। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज दिनांक 01.06.2026 को रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के द्वारा बताये गए कथनो की ताईद होकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया तथा संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी से रिश्वत राशि 43,500 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात समय 01.42 पीएम पर परिवादीया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर से कॉल आ रहा हैं। इस पर मन् एएसपी द्वारा परिवादीया से कॉल अटेण्ड करवा मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखवाकर उक्त मोबाईल वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त मोबाईल वार्ता में श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादीया को सरपंच साहब से मिलने के लिए कहा तथा परिवादीया द्वारा पट्टा सरपंच साहब के पास होने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पट्टा सरपंच साहब के पास ही होना बताया और रजिस्ट्री के पैसे देने व रजिस्ट्री करवाने की कहकर सरपंच साहब से मिलने के लिए कहा। तत्पश्चात उपस्थित सपरिवादी श्री रतन लाल जाट ने मन् एएसपी को बताया कि अभी-अभी मेरे मोबाईल नम्बर ! पर श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर से कॉल आया था जो मैने अटेण्ड नहीं किया था। इस पर मन् एएसपी द्वारा डीवीआर समय 01.45 पीएम पर सपरिवादी श्री रतनलाल जाट के मोबाईल फोन से संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी को कॉल करवा, मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखवाकर उक्त मोबाईल वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त मोबाईल वार्ता में सपरिवादी श्री रतनलाल जाट द्वारा संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी को 20,000 रूपये की व्यवस्था होने व बाकि के पेमेण्ट में एक-डेढ घण्टे का समय लगने के सम्बन्ध में बताया जिस पर संदिग्ध श्री करण सिंह द्वारा सरपंच साहब से मिलने के लिए कहा। परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे व श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा श्री रतन लाल जाट व श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्तानुसार श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 43,500 रूपये स्वयं नहीं लेकर रिश्वत राशि श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब के मार्फत प्राप्त करना चाह रहे हैं और रिश्वत राशि सरपंच साहब को देने की कह रहे हैं। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को पट्टा आवेदन पत्रावली जो कि पडोसियों एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाने हेतु श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादीया को सुपुर्द की गई थी, उक्त पट्टा आवेदन पत्रावली में श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के बताये अनुसार पडोसियों एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पट्टा आवेदन पत्रावली पुन श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच को देने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया को संदिग्धगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि 43,500 रूपये की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादीया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के समय भी मेरे द्वारा श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत राशि की व्यवस्था होने व श्री रतनलाल जाट द्वारा लेकर आने की कहा था तथा श्री रतनलाल जाट ने भी मोबाईल वार्ता में श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी को 20,000 रूपये की व्यवस्था होने व बाकि के पेमेण्ट की व्यवस्था करने में समय लगने की कहा था लेकिन मेरे से अभी तक रिश्वत राशि 43,500 रूपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई हैं, इसलिए मैं कल दिनांक 02.06.2026 तक अपने स्तर पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लूंगी। श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने मोबाईल वार्तानुसार रिश्वत राशि 43,500 रूपये स्वयं ना लेकर श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब को देने के लिए कहा हैं और सरपंच साहब अक्सर ग्राम तासोल में या तो अपने घर पर मिलते हैं या ग्राम पंचायत में मिलते हैं। सरपंच साहब का मकान भी ग्राम पंचायत के पास ही स्थित हैं। सरपंच साहब कल दिनांक 02.06.2026 को सम्भवत ग्राम तासोल में ही मिल जायेंगे जिनसे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में आगे की वार्ता हो

सकती हैं। इस पर मन् एएसपी द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को संदिग्ध श्री भंवरलाल सरपंच को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 43,500 रूपयों की व्यवस्था कर सपरिवादी श्री रतनलाल जाट के साथ अग्रीम रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही हेतु कल दिनांक 02.06.2026 को समय 08.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने तथा मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर परिवादिया-सपरिवादी को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय हाजा से उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द को पत्र जारी कर श्री मनोहरलाल कानि0 नम्बर 30 के साथ भिजवाया जाकर दिनांक 02.06.2026 को समय 08.30 एएम पर दो स्वतंत्र गवाहान भिजवाने हेतु पाबन्द करवाया गया।तत्पश्चात दिनांक 02.06.2026 को समय 08.30 ए0एम0 पर दो स्वतंत्र गवाहान श्री अंकितराज हाल-कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग राजसमन्द जिला राजसमन्द एवं श्री जयसिंह मीणा हाल सूचना सहायक, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ब्लॉक राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये। तत्पश्चात पूर्व पाबंदशुदा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं सपरिवादी श्री रतन लाल जाट ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में पूर्व में उपस्थितशुदा दोनों गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम गोपनीय कार्यवाहीं के सम्बन्ध में समस्त हालात से अवगत कराते हुए उपस्थितशुदा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी भांड एवं सपरिवादी श्री रतनलाल जाट का दोनों गवाहान श्री अंकितराज एवं श्री जयसिंह मीणा से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखे हुए परिवादीया का टाईपशुदा प्रार्थना एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को अलमारी से निकाला गया। तत्पश्चात उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादीया श्रीमती मंजु देवी द्वारा दिनांक 30.05.2026 को प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादीया से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात् परिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को श्री रतन लाल जाट द्वारा उक्त कार्यवाही में बतौर सपरिवादी, परिवादीया के साथ उपस्थित रहने के सम्बन्ध में एवं परिवादीया द्वारा मन् एएसपी के समक्ष दिनांक 30.05.2026 को बाडे के पट्टे हेतु पेश की गई मूल रसीद संख्या 0383 जो कि दिनांक 21.07.2023 को राशि 120 रूपये की श्रीमती मंजु के नाम पर ग्राम पंचायत तासोल द्वारा काटी गई थी जिसके सम्बन्ध में अवगत करा उक्त मूल रसीद पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 01.06.2026 को परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी व श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल के मध्य हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तथा परिवादिया-सपरिवादी एवं संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओं को चलाकर उक्त समस्त वार्ताएं दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं परिवादीया के प्रार्थना-पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् एएसपी को बताया कि पट्टा आवेदन पत्रावली जो कि पडोसियों एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाने हेतु श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे सुपुर्द की थी, मैने उक्त पट्टा आवेदन पत्रावली में श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के बताये अनुसार पडोसियों एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर करवाकर के पट्टा आवेदन पत्रावली आज सुबह मेरे लडके श्री ऋतिक भांड के हाथों श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच साहब के घर पर पहुंचा दी हैं। मेरा लडका जब सरपंच साहब के घर पर गया था तब सरपंच साहब अपने घर पर ही मौजुद थे जो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तब सरपंच साहब ने मेरे लडके को कहा कि तुम्हारे बाडे का पट्टा तैयार हो गया हैं जो तुम्हारी मम्मी को भेज देना जो पट्टा ले जायेगी। उक्त सारी बात मेरे लडके ऋतिक ने मुझे बताई हैं। चूंकि उक्त सम्पूर्ण मामले में संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 43,500 रूपये सरपंच श्री भंवरलाल सरगरा को देने हेतु कहा हैं। इस हेतु मन् एएसपी द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीया श्रीमती मंजु देवी व सपरिवादी श्री रतनलाल जाट से संदिग्ध सरपंच श्री भंवरलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से सम्पर्क किये जाने के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादीया ने बताया कि अभी तक सरपंच साहब ने रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मुझसे सम्पर्क नहीं किया हैं लेकिन मैने सरपंच साहब की लोकेशन जानने हेतु अपने सूत्रों से पता करवाया तो सरपंच साहब अभी ना तो ग्राम पंचायत में हैं और ना ही अपने घर पर हैं जो शायद किसी काम के लिए ग्राम तासोल से बाहर गये हुए हैं जो सम्भवत शाम तक अपने घर पर आ जायेंगे तथा इसके बाद वो ग्राम पंचायत में नहीं जायेंगे और उनसे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में उनके घर पर ही आगे की वार्ता हो सकेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया को संदिग्ध सरपंच श्री भंवरलाल सरगरा को दी जाने वाली रिश्वत राशि 43,500 रूपयों की व्यवस्था के

सम्बन्ध में पूछा तो परिवादीया ने उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी की मांग अनुसार रिश्वत राशि 43,500 रूपयों में से मेरे द्वारा 10,000 रूपयों की ही व्यवस्था हो पाई हैं तथा शेष रिश्वत राशि 33,500 रूपयों की मैने डमी नोटों की व्यवस्था की हैं जो अभी मेरे पास ही रखे हुए हैं तथा रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त श्री रतनलाल जाट मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही के क्रम में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीया-सपरिवादी के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 01.06.2026 को समय 12.01 पीएम पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तासोल पंचायत समिति व जिला राजसमन्द के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 01.06.2026 को समय 12.08 पीएम से 12.43 पीएम के बीच परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी व श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 01.06.2026 को समय 01.42 पीएम पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 01.06.2026 को समय 01.45 पीएम पर सपरिवादी श्री रतन लाल जाट एवं संदिग्ध श्री करण सिंह के मध्य हुई मोबाईल वार्ता सहित कुल 04 वार्ताए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त चारों मोबाईल-रूबरू वार्ताओं को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओं की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में आवाज की पहचान उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं सपरिवादी श्री रतन लाल जाट से करवाई गई तो परिवादीया ने उपरोक्त रिकॉर्डशुदा मोबाईल वार्ताएं (समय 12.01 पीएम व 01.42 पीएम) एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तासोल की तथा एक अन्य आवाज संदिग्ध श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल पंचायत समिति व जिला राजसमन्द की होने की पुष्टि की तथा मोबाईल वार्ता (समय 01.45 पीएम) में एक आवाज सपरिवादी श्री रतन लाल जाट की एवं दूसरी आवाज संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तासोल की होने की पुष्टि की। उपस्थित सपरिवादी श्री रतन लाल जाट ने भी उपरोक्त रिकॉर्डशुदा मोबाईल वार्ताएं (समय 12.01 पीएम व 01.42 पीएम) एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता में एक आवाज श्रीमती मंजु देवी की एवं दूसरी आवाज संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी की तथा एक अन्य आवाज संदिग्ध श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच की होने की पुष्टि की तथा मोबाईल वार्ता (समय 01.45 पीएम) में एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी तासोल की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीया-सपरिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 01.06.2026 को परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं संदिग्धगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी व श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तथा दिनांक 01.06.2026 को परिवादीया-सपरिवादी एवं संदिग्ध श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ताए सहित कुल 04 वार्ताए जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगा हुआ को श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकॉर्डशुदा चारों वार्ताओं को तीन अलग-अलग खाली (रिक्त) पेनड्राईव LEXAR 8G E21 8 GB (बरंग डार्क ग्रे) में सेव-कॉपी किया जाकर रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की तीन डब कॉपी (न्यायालय हेतु मूल पेनड्राईव, आरोपीगण हेतु दो डब पेनड्राईव) तैयार की गई तथा इसके अतिरिक्त अनुसंधान के दौरान आईओ के उपयोग हेतु उपरोक्त चारों वार्ताओं को एक रिक्त पेनड्राईव LEXAR 8G E21 8 GB (बरंग डार्क ग्रे) के फोल्डर ¼AUDIO RECORDINGS DATED 01-06-2026) में सेव-कॉपी किया गया। न्यायालय हेतु तैयार किये गये मूल पेन ड्राईव की हैश वेल्यु कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई तथा श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सिलचिट करा मार्क- PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल पेनड्राईव, दो डब पेनड्राईव व आईओ पेनड्राईव को श्रीमती तारा महिला कानि0 से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मूल मेमोरी कार्ड (Strontium NITRO 85 MBs 16 GB Micro SD HC) बरंग काला में रिकॉर्डशुदा चारों वार्ताओं की हैश वैल्यू कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात श्रीमती तारा महिला कानि0 से उपरोक्त मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित निकलवाकर मूल मेमोरी कार्ड (Strontium NITRO 85 MBs 16 GB Micro SD HC) बरंग काला को वजह सबूत जप्त किया जाकर श्रीमती तारा महिला कानि0 से एक सफेद कपडे की थैली में नियमानुसार सीलडचिट करवाया जाकर मार्क- M

अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल मेमोरी कार्ड को श्रीमती तारा महिला कानि0 से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात समय 02.40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सपरिवादी श्री रतनलाल जाट के समक्ष मन् हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादिया श्रीमती मंजु देवी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादिया श्रीमती मंजु देवी ने अपने पास से व्यवस्थानुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट राशि 10,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 67 डमी नोट राशि 33,500 रूपये कुल राशि 43,500 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट जिनके नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त 67 डमी नोटों में से 02 नोटों के आगे-पीछे की फोटों ली जाकर प्रिन्टआउट प्राप्त कर उस पर परिवादिया, सपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त 67 डमी नोट राशि 33,500 रूपये की एक गड्डी बनाई गई। तत्पश्चात परिवादिया श्रीमती मंजु देवी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्री मनोहर लाल कानि0 नं. 30 से मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी बाहर निकलवाई जाकर फर्श पर अखबार बिछा कर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के समस्त नोटों के दोनों ओर तथा परिवादीया द्वारा पेश प्लास्टिक की पारदर्शी थैली पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्री मनोहर लाल कानि0 नं. 30 द्वारा उक्त समस्त नोटो के दोनों ओर एवं प्लास्टिक की पारदर्शी थैली पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया। तत्पश्चात परिवादिया द्वारा अपने साथ में लाई गई कपडे की थेली की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अंकितराज कनिष्ठ लेखाकार से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को डमी नोटों की गड्डी में 10 नोट उपर व 10 नोट नीचे रखकर उक्त गड्डी को फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में रखकर परिवादिया द्वारा साथ में लाई गई कपडे की थेली में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री मनोहर लाल कानि0 नं. 30 से रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 से कार्यालय में रखे हुए पानी के केम्पर में से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया-सपरिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री मनोहर लाल कानि0 नं. 30 के हाथ की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादिया-सपरिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों एवं प्लास्टिक की पारदर्शी थैली पर लगा हुआ फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जायेगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मनोहर लाल कानि0 नं. 30 से कार्यालय परिसर में पीछे की तरफ स्थित नाली में फिकवाया जाकर प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास एवं अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। परिवादिया को यह हिदायत भी दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादिया को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर ओढी हुई ओढनी पर दोनों हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादिया, सपरिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये एवं नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास पैकेट को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादिया व आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड के परिवादिया को सिपुर्द कर रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात परिवादीया, सपरिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये तथा श्री मनोहर लाल कानि0 नम्बर 30 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी में सुरक्षित रखवाकर श्री मनोहर लाल कानि0 नम्बर 30 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन से धुलवाये जाकर उक्त कानि0 मनोहर लाल को ब्यूरो कार्यालय पर ही रूकने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस

रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 03.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सपरिवादी श्री रतनलाल जाट के समक्ष परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को संदिग्ध श्री भंवरलाल सरपंच द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किये जाने के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादीया ने बताया कि अभी तक सरपंच साहब ने रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मुझसे सम्पर्क नहीं किया हैं, मैने अपने सूत्रों से पता करवाया तो पता चला हैं कि अभी तक श्री भंवरलाल सरपंच साहब ना तो अपने घर पर आये और ना ही ग्राम पंचायत तासोल में आये हैं। सरपंच साहब जैसे ही अपने घर पर या ग्राम पंचायत में आयेंगे तो इसकी सूचना तुरन्त मेरे पास आ जायेगी, तब तक के लिए इन्तजार करना पडेगा। परिवादीया के बताये अनुसार संदिग्ध सरपंच श्री भंवरलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से अभी तक परिवादीया से कोई सम्पर्क नहीं किया गया हैं और ना ही संदिग्ध सरपंच अभी तक अपने घर पर या ग्राम पंचायत तासोल में आया हैं। ऐसी स्थिति में परिवादीया के बताये अनुसार संदिग्ध सरपंच के ग्राम पंचायत तासोल-निवास स्थान पर उपस्थित आने तक इन्तजार करने की आवश्यकता होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादीया, सपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के चौकी राजसमन्द पर मुकिम हुए। तत्पश्चात परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सपरिवादी के समक्ष मन् एएसपी को बताया कि अभी शाम का समय हो गया हैं और मेरा घर पर जाना भी आवश्यक हैं। श्री भंवरलाल सरपंच साहब द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु अभी तक मेरे से कोई सम्पर्क नहीं किया हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई वाया-मीडिया मैसेज प्राप्त हुआ हैं। मैने मेरे मोबाईल नम्बर से सरपंच साहब के मोबाईल नम्बर पर कई बार कॉल भी किये हैं लेकिन सरपंच साहब का मोबाईल स्वीच ऑफ आ रहा हैं इसलिए उनसे कोई सम्पक नहा हा पा रहा हैं। मैने अपने सूत्रों से पता करवाया तो ज्ञात हुआ हैं कि सरपंच साहब आज ग्राम पंचायत तासोल में नहीं आये थे वो किसी काम के लिए बाहर गये हुए हैं जो अभी तक अपने घर पर भी नहीं आये हैं। सरपंच साहब जहां पर भी हो वो आज लेट-सेट अपने घर पर आ ही जायेंगे। जैसे ही सरपंच साहब ग्राम तासोल में अपने घर पर आयेंगे उसकी सूचना मेरे पास आ जायेगी और मैं आपको सूचित कर दूंगी। सरपंच साहब श्री भंवरलाल अपने घर पर आने के बाद मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु कभी भी किसी भी समय सम्पर्क कर सकते हैं, इसलिए आप कल दिनांक 03.06.2026 को अपनी टीम तैयार रखना जैसे ही सरपंच साहब रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए मेरे से सम्पर्क करेंगे तो इसकी सूचना मैं तुरन्त आपको कॉल करके दे दूंगी जो आप अपनी टीम के साथ ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास आ जाना मैं वहां पर आपको मिल जाउंगी। चूंकि परिवादीया के बताये अनुसार अभी शाम समय हो गया हैं तथा अभी तक संदिग्ध सरपंच द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादीया से कोई सम्पर्क नहीं किया गया हैं और संदिग्ध सरपंच का फोन भी स्वीच ऑफ आ रहा हैं। ऐसी स्थिति में आज दिनांक 02.06.2026 को अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हैं। इसलिए अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 03.06.2026 को समय 08.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत की गई तथा साथ ही परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को कल दिनांक 03.06.2026 को संदिग्ध सरपंच श्री भंवरलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किये जाने पर तुरन्त मन् एएसपी को सूचित करने तथा अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही हेतु ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास सपरिवादी श्री रतनलाल जाट के साथ उपस्थित मिलने तथा मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बुलाकर अब तक की कार्यवाही के दौरान तैयार किया गया वार्ताओं का आईओ पेनड्राईव नग-01 (खुला) को यथास्थिति अनुसार ट्रेप बॉक्स में ही रखा जाकर सिलचिट किये गये मालखाना आर्टिकल्स यथा मूल पेनड्राईव मार्क- PD, नग-01 एवं मूल मेमोरी कार्ड मार्क- M, नग-01 तथा आरोपीगण हेतु तैयार किये गये दो डब पेनड्राईव (खुला) को श्रीमती तारा महिला कानि0 से ट्रेप बॉक्स में से निकलवाकर मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के दौरान वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जो कि परिवादीया के पास सुरक्षित रखा हुआ था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादीया से प्राप्त किया जाकर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं अब तक की कार्यवाही की दस्तावेजात पत्रावली को श्रीमती तारा महिला कानि0 से मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मन् एएसपी द्वारा श्री मनोहर लाल कानि0 नम्बर 30 को मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादीया के पास उसकी कपडे की थेली में रखी हुई रिश्वती राशि 43,500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट राशि 10,000 रूपये एवं 500-500 रूपये 67 डमी नोट राशि 33,500 रूपये) को श्री मनोहर लाल कानि0 से यथास्थिति अनुसार (कपडे की थेली में ही रखी हुई को) मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात समय 06.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थितशुदा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी, सपरिवादी श्री रतनलाल जाट एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अंकितराज व श्री जयसिंह मीणा को बाद आवश्यक हिदायत के ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।तत्पश्चात दिनांक 03.06.2026 को समय 08.30 एएम पर पूर्व पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अंकितराज

एवं श्री जयसिंह मीणा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हे मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 को मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बुलाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 02.06.2026 को सिलचिट किये गये मालखाना आर्टिकल्स यथा मूल पेनड्राईव मार्क- PD, नग-01 एवं मूल मेमोरी कार्ड मार्क- M, नग-01 तथा आरोपीगण हेतु तैयार किये गये दो डब पेनड्राईव (खुला) को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखे हुए को सुरक्षित अवस्था में निकलवाकर श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 को उक्त मालखाना आर्टिकल्स का मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करने एवं तदुपरान्त कार्यालय हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादीया के कॉल आने के इन्तजार में चौकी राजसमन्द पर मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 08.21 पी.एम. पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् एएसपी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करके बताया कि आज दिनांक 03.06.2026 का सादंग्ध सरपंच श्री भंवरलाल ने मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु अभी तक सम्पर्क नहीं किया हैं और ना ही वाया-मीडिया कोई मैसेज भिजवाया हैं। मैने मेरे मोबाईल फोन से आज कई बार सरपंच साहब को कॉल भी किया था लेकिन सरपंच साहब का फोन स्वीच ऑफ आ रहा हैं, इसलिए मेरा सरपंच साहब से कोई सम्पर्क नहीं हो पाया हैं। मैने अपने सूत्रों से पता करवाया तो ज्ञात हुआ कि सरपंच साहब आज ग्राम पंचायत तासोल में नहीं आये थे और ना ही अपने घर पर थे जो शायद किसी काम से कहीं बाहर गये हुए हैं जो अभी तक अपने घर पर नहीं लोटे हैं। मुझे मेरे आवश्यक निजी कार्य हेतु कहीं बाहर जाना हैं जो मैं करीब 10-12 दिन बाद वापस गांव तासोल में अपने घर पर आ जाउंगी तथा आने के बाद आगे की कार्यवाही करवाती हुं। इस पर मन् एएसपी द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को अपने निजी कार्य से फारिक होने के पश्चात संदिग्ध सरपंच श्री भंवरलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से सम्पर्क किये जाने पर अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही हेतु मन् एएसपी को जरिए मोबाईल सूचित करने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने बाबत् आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् एएसपी द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो द्वारा सम्पर्क किये जाने पर तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर दोनों स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.06.2026 को समय 06.28 पी.एम. पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् एएसपी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करके बताया कि अभी तक सरपंच साहब श्री भंवरलाल जी ने मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु कोई सम्पर्क नहीं किया हैं। मैंने सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को कई बार कॉल भी किया था लेकिन दोनों का फोन स्वीच ऑफ आ रहा हैं। कल दिनांक 16.06.2026 को ग्राम पंचायत तासोल में ग्राम पंचायत के लम्बित कार्यों को लेकर के शिविर (केम्प) का आयोजन होगा जिसमें श्री भंवरलाल सरपंच साहब एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी दोनों इस शिविर (केम्प) में जरूर आयेंगे, तब श्री भंवरलाल जी सरपंच साहब से रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में आगे की वार्ता हो सकती हैं, इसलिए कल दिनांक 16.06.2026 को जब मैं आपको कॉल करूं तब आप अपनी टीम लेकर ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास आ जाना, मैं आपको वहां पर मिल जाउंगी। जिस पर मन् एएसपी द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को संदिग्ध श्री भंवरलाल सरपंच द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किये जाने पर तुरन्त मन् एएसपी को जरिए मोबाईल सूचित करने तथा अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही हेतु ग्राम तासोल के बाहर की तरफ मादडी रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पास सपरिवादी श्री रतन लाल जाट के साथ उपस्थित मिलने बाबत् आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् एएसपी द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अंकितराज एवं श्री जयसिंह मीणा को दिनांक 16.06.2026 को समय 09.30 एएम पर अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.06.2026 को समय 09.30 एएम पर पूर्व पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अंकितराज एवं श्री जयसिंह मीणा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हे मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के बताये अनुसार इमरोजा ग्राम पंचायत तासोल में ग्राम पंचायत के लम्बित कार्यों के निस्तारण हेतु शिविर (केम्प) का आयोजन किया जाना हैं जिसमें संदिग्ध सरपंच-ग्राम विकास अधिकारी के उपस्थित आने तथा अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही होने की सम्भावना के सम्बन्ध में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवगत करा, परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के कॉल आने के इन्तजार में मन् एएसपी मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 06.40 पीएम पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी, सपरिवादी श्री रतन लाल जाट के साथ अज खुद ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आई तथा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् एएसपी को बताया कि आज ग्राम पंचायत तासोल में ग्राम पंचायत के लम्बित कार्यों को लेकर शिविर (केम्प) का आयोजन हुआ था जिसमें श्री भंवरलाल जी सरपंच साहब एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी दोनों नही आये थे। मैंने सरपंच साहब श्री भंवरलाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री करण सिंह के मोबाईल पर कई बार कॉल किये लेकिन दोनों का फोन स्वीच ऑफ आ रहा हैं। सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी दोनों

दिनांक 01.06.2026 के पश्चात अभी तक ग्राम पंचायत तासोल में नहीं आये हैं और श्री भंवरलाल सरपंच साहब भी ग्राम तासोल में स्थित अपने घर पर नहीं आये हैं। मेरा सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं हो पा रहा हैं, मुझे लगता हैं कि सरपंच साहब-ग्राम विकास अधिकारी को उनके विरूद्ध की जा रही एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई हैं इसलिए ये दोनों ना तो ग्राम पंचायत तासोल में आ रहे हैं और ना ही इनसे कोई सम्पर्क हो पा रहा हैं। श्री भंवरलाल जी सरपंच साहब एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी मेरे से अब रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आप मेरे द्वारा दिनांक 02.06.2026 को दी गई रिश्वती राशि 10,000 रूपये पुन मुझे लौटा दो। परिवादीया के बताये अनुसार संदिग्ध श्री भंवरलाल सरपंच एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द को उनके विरूद्ध की जा रही एसीबी की कार्यवाही की भनक लग जाने से उक्त मामले में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती तारा महिला कानि0 को मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित अवस्था में रखी हुई कपडे की थेली को निकलवाकर उक्त कपडे की थेली में से फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई प्लास्टिक की पारदर्शी थेली को निकलवाकर उक्त प्लास्टिक की पारदर्शी थेली में फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकितानुसार रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नम्बरी नोट राशि 10,000 रूपये को उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान-सपरिवादी श्री रतन लाल जाट के समक्ष मन् एएसपी द्वारा परिवादीया श्रीमती मंजु देवी को लौटाये जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। तथा साथ ही 500-500 रूपये के 67 डमी नोट राशि 33,500 रूपयों एवं कपडे की थेली को परिवादीया के कहे अनुसार जलाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक की पारदर्शी थेली को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द सिपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी, सपरिवादी श्री रतन लाल जाट एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के पश्चात फर्द नमूना सील पृथक से जारी की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात बाद फारिक परिवादीया श्रीमती मंजु देवी, सपरिवादी श्री रतन लाल जाट एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया जाकर अब तक की कार्यवाही के समस्त हालात उच्च अधिकारीगण को निवेदन किये गये। मामले हाजा में अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादीया श्रीमती मंजु देवी द्वारा ग्राम तासोल में आबादी क्षैत्र के आराजी नम्बर 647 में स्थित अपने बाडे का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत तासोल में जुलाई 2023 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी ग्राम पंचायत तासोल द्वारा दिनांक 21.07.2023 को राशि 120 रूपये की रसीद काटी थी। जिसके क्रम में दिनांक 24.04.2026 को परिवादीया श्रीमती मंजु देवी ने सपरिवादी श्री रतन लाल जाट के साथ ग्राम पंचायत तासोल में जाकर श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द से मिलकर बाडे का पट्टा बनाने हेतु वार्ता की तो श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच एवं श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने पट्टा बनाने की एवज में परिवादीया श्रीमती मंजु देवी से 45,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर परिवादीया द्वारा दिनांक 30.05.2026 को कानूनी कार्यवाही बाबत् रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द में प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.06.2026 को परिवादीया श्रीमती मंजु देवी एवं आरोपीगण श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच व श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तासोल के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान परिवादीया श्रीमती मंजु देवी द्वारा पट्टा बनाने हेतु पूर्व में मांग की गई रिश्वत राशि 45,000 रूपये ज्यादा होने से रिश्वत राशि कम करने के लिए कहा गया तो आरोपी श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) द्वारा 1,000 रूपये कम करके देने हेतु कहा। परिवादीया द्वारा बार-बार रिश्वत राशि कम करने हेतु निवेदन करने पर आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) की उपस्थिति में परिवादीया के बाडे का पट्टा बनाने की एवज में सरकारी रेट अनुसार पट्टा जारी करने हेतु राशि 2,60,100 रूपये बनने की कहकर, उक्त सरकारी रेट से भिन्न रिश्वत राशि 1,000 रूपये कम करके रिश्वत राशि 44,000 रूपये देने हेतु कहा। जिस पर परिवादीया द्वारा पुन रिश्वत राशि कम करने हेतु निवेदन करने पर आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) की उपस्थिति में रिश्वत राशि कम करते हुए बाडे का पट्टा बनाने की एवज में परिवादीया से रिश्वत राशि 43,500 रूपये की स्पष्ट रूप से मांग की गई। जिसके पश्चात दिनांक 01.06.2026 को ही परिवादिया-सपरिवादी एवं आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता में आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) से मिलने हेतु कहा। तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग के अनुशरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए दो स्वतंत्र गवाहान तलब किये जाकर दिनांक 02.06.2026, 03.06.2026 एवं दिनांक 16.06.2026 को आरोपीगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रयास किया गया। लेकिन हर दोनों आरोपीगण को उनके विरूद्ध की जा रही एसीबी की कार्यवाही की भनक लग जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।इस प्रकार आरोपीगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द द्वारा परिवादीया से रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से एक षडयंत्र के तहत आपसी मिलीभगत

कर परिवादीया श्रीमती मंजु देवी के ग्राम तासोल में स्थित बाडे का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत राशि 45,000 रूपये की मांग करने पर दिनांक 01.06.2026 को परिवादीया एवं आरोपीगण श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी व श्री भंवरलाल सरगरा सरपंच के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान परिवादीया श्रीमती मंजु देवी द्वारा पट्टा बनाने हेतु पूर्व में मांग की गई रिश्वत राशि 45,000 रूपये ज्यादा होने से रिश्वत राशि कम करने के लिए कहा गया तो आरोपी श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) द्वारा 1,000 रूपये कम करके देने हेतु कहा। परिवादीया द्वारा बार-बार रिश्वत राशि कम करने हेतु निवेदन करने पर आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) की उपस्थिति में परिवादीया के बाडे का पट्टा बनाने की एवज में सरकारी रेट अनुसार पट्टा जारी करने हेतु राशि 2,60,100 रूपये बनने की कहकर, उक्त सरकारी रेट से भिन्न रिश्वत राशि 1,000 रूपये कम करके रिश्वत राशि 44,000 रूपये देने हेतु कहा। जिस पर परिवादीया द्वारा पुन रिश्वत राशि कम करने हेतु निवेदन करने पर आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) की उपस्थिति में रिश्वत राशि कम करते हुए बाडे का पट्टा बनाने की एवज में परिवादीया से रिश्वत राशि 43,500 रूपये की स्पष्ट रूप से मांग कर दिनांक 01.06.2026 को ही परिवादिया-सपरिवादी एवं आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता में आरोपी श्री करण सिंह ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री भंवरलाल सरगरा (सरपंच) से मिलने के लिए कहना, आरोपीगण (1) श्री करण सिंह राव पुत्र श्री गोविन्द सिंह राव जाति राव, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम कनावदा, पोस्ट पडासली, पुलिस थाना केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पंचायत फरारा, अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत तासोल एवं मुण्डोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द एवं (2) श्री भंवर लाल सरगरा पुत्र श्री रामलाल सरगरा जाति सरगरा, उम्र 68 साल, निवासी ग्राम तासोल, पुलिस थाना केलवा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द हाल प्रशासक (सरपंच), ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रमाणित होकर हर दोनों आरोपीगण श्री करण सिंह राव एवं श्री भंवर लाल सरगरा के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना भवदीय,(हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द.......कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1- श्री करण सिंह राव पुत्र श्री गोविन्द सिंह राव जाति राव, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम कनावदा, पोस्ट पडासली, पुलिस थाना केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पंचायत फरारा, अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत तासोल एवं मुण्डोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द एवं 2- श्री भंवर लाल सरगरा पुत्र श्री रामलाल सरगरा जाति सरगरा, उम्र 68 साल, निवासी ग्राम तासोल, पुलिस थाना केलवा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द हाल प्रशासक (सरपंच), ग्राम पंचायत तासोल, पंचायत समिति व जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डाँ सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 36 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1278-82 दिनांक 03.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द 2- आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजसमन्द 4- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/08/2026 17:04:15

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				
2	Male	1958				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)